By Speed Post

संख्या 08/02/2014-एफ एफ (पी)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
स्वतंत्रता सेनानी एवं पुनर्वास प्रभाग

द्वितीय तल, एन डी सी सी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली,
दिनांक : 21 अगस्त, 2014

सेवा में

मुख्य लेखा नियंत्रक,
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक,
<u>नई दिल्ली-110001</u>

विषय: दिनांक 01.08.2014 से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पैंशन (एस एस एस पी) स्कीम, 1980 के तहत स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों को महंगाई राहत की दूसरी किस्त प्रदान करना।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 16/20 अगस्त, 1997 के पत्र सं. 08/08/97-एफ एफ पी का उल्लेख करने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय सम्मान पैंशन को उपयुक्त ढंग से कीमत सूचकांक से जोड़ा जाए।

2. तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से तथा जून, 1997 में औद्योगिक कामगारों (आई डब्ल्यू) संबंधी अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक (ए आई सी पी आई) को आधार मानकर विचार करने के उपरांत गृह मंत्रालय के दिनांक 14 अक्तूबर, 1998 के पत्र सं. 08/08/97-एफ एफ (पी) के तहत दिनांक 01 अगस्त, 1998 से पैंशन तथा आश्रित परिवार पैंशन के 7% की दर से महंगाई राहत मंजूर की गई थी।

3. केन्द्रीय सम्मान पैंशन के संदर्भ में, वित्त मंत्रालय के परामर्श से महंगाई राहत को आवधिक रूप से संशोधित किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

(i) दिनांक 01.08.1999 से 20% दर से
(ii) दिनांक 01.08.2000 से 24% दर से
(iii) दिनांक 01.08.2001 से 28% दर से
(iv) दिनांक 01.08.2002 से 34% दर से
(v) दिनांक 01.08.2003 से 39% दर से
(vi) दिनांक 01.08.2004 से 44% दर से
(vii) दिनांक 15.08.2005 से 50% दर से
(viii) दिनांक 01.08.2006 से 58% दर से
(ix) दिनांक 01.08.2007 से 68% दर से
(x) दिनांक 01.08.2008 से 79% दर से
(xi) दिनांक 01.08.2009 से 96% दर से
(xii) दिनांक 01.08.2010 से 123% दर से

p-2

(xiii) दिनांक 01.08.2011 से 143% दर से

(xiv) दिनांक 01.08.2012 से 165% दर से

(xv) दिनांक 01.08.2013 से 193% दर से

4. विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन (एस एस एस पी) स्कीम, 1980 के तहत दिनांक 1 अगस्त, 2014 से 25 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की दूसरी किस्त प्रदान करने का निर्णय किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों की विभिन्न श्रेणियों को इस प्रकार देय कुल महंगाई राहत दिनांक 01.08.2014 से 218% हो गयी।

5. स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन (एस एस एस पी) स्कीम के तहत विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों को, इन आदेशों के अनुसार दिनांक 01.08.2014 से देय महंगाई राहत निम्नानुसार होगी:-

क्रम सं.	श्रेणी	मूल मासिक पेंशन की वर्तमान दर (दिनांक 02.10.2006 से)	दिनांक 01.08.2014 से देय मूल मासिक पेंशन की 218 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत
1(क)	पूर्व-अण्डमान राजनीतिक कैदी	7,330/- रुपए	15,979/- रुपए
(ख)	ब्रिटिश इंडिया से बाहर यातना भोगने वाले स्वतंत्रता सेनानी (आई एन ए के अतिरिक्त)	6,830/- रुपए	14,889/- रुपए
2	अन्य स्वतंत्रता सेनानी	6,330/- रुपए	13,799/- रुपए
3	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	संबंधित मृतक स्वतंत्रता सेनानी के समान हकदारी	संबंधित मृतक स्वतंत्रता सेनानी के समान हकदारी
4	अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियां [एक बार में ऐसी अधिकतम तीन पुत्रियों के अध्यधीन]	सभी तीन पुत्रियों में प्रत्येक को 1500/- रु.	सभी तीन पुत्रियों में प्रत्येक को 3270/- रु.
5	माता और पिता	प्रत्येक को 1000/-रु.	प्रत्येक को 2180/- रु.

6. इसलिए, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक मामले में केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों तथा उनके पात्र आश्रितों के वर्तमान पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) को आशोधित करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किया जाए ताकि ऊपर उल्लिखित सीमा तक महंगाई राहत के भुगतान को प्रभावी बनाया जा सके। **यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संशोधित महंगाई राहत अगस्त, 2014 माह की पेंशन के साथ भुगतान की जाए, और इसके पश्चात, बढ़ी हुई महंगाई राहत की वजह से किसी भी प्रकार के बकायों का भुगतान नहीं किया जाए।**

7. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ई.वी. शाखा द्वारा उनके दिनांक 21.08.2014 के यू.ओ. आई डी सं. 1 (7)/ई वी/2014 के तहत दिए गए अनुमोदन तथा गृह मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग द्वारा उनके दिनांक 21.08.2014 के सी एफ 3250697/ए एस एंड एफ ए (एच) के तहत दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(आर. सी. नायक)
(R. C. NAYAK)
निदेशक
Director
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

(आर.सी. नायक)
निदेशक (एफ एफ)
टेलीफैक्स सं. 23438062
ई.मेल-rcnayak@nic.in

संख्या 08/02/2014-एफ एफ (पी) दिनांक 21 अगस्त, 2014

सूचना तथा समरूप कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि (स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा) अग्रेषित :-

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 [ध्यानार्थ : श्री विजय कुमार सिंह, निदेशक (प्रशासन)] ।
2. भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। यह अनुरोध किया जाता है कि सभी महालेखाकारों को दिनांक 01.08.2014 से उपर्युक्त दरों के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान करने के लिए सभी कोषाधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करने की सलाह दी जाए।
3. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, लेखा एवं व्यय विभाग, मुम्बई। यह अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 01.08.2014 से उपर्युक्त दरों के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।
4. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार एवं बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, बाईकुला, मुम्बई-400008
5. मुख्य नियंत्रक (पेंशन), केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ), भीकाजीकामा प्लेस, त्रिकुट-।।, होटल हयात रेजेंसी के पीछे, नई दिल्ली-110066
6. मुख्य लेखा नियंत्रक (पेंशन और विविध), 2/10, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली-110011
7. लेखा अधिकारी, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, लोक नायक भवन, नई दिल्ली110003
8. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव।
9. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
10. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
11. गृह मंत्री के निजी सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. गृह राज्य मंत्री (गृह) के निजी सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
13. सचिव (बी एम)/संयुक्त सचिव (एफ एफ आर)/अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
14. स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।।, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
15. अनुभाग अधिकारी(आई टी) को इस अनुरोध के साथ आदेश की एक प्रति प्रेषित कि वे इसे गृह मंत्रालय की वेबसाइट (एफ एफ आर प्रभाग) पर डलवा दें।

आर. सी. नायक

(आर.सी. नायक)

निदेशक (एफ एफ)

(आर. सी. नायक)
(R. C. NAYAK)
निदेशक
Director
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
भारत सरकार, नई दि
Govt. of India, New D